THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI SOMPAL): (a) The guidelines for consideration of foreign direct investment proposals by the Foreign Investment Promotion Board in the Ministry of Industry lay down that priority will be accorded to items which have large scale employment potential especially for rural people and items which have a direct or backward linkage with agro-business/ farm sector. The Ministry of agriculture is in favour of allowing foreign direct investment in high-tech areas where there are technology gaps to be addressed in the country, for establishing market infrastructure such as post-harvest arrangements and cold chains for storage and transportation.

(b) No. Sir.

(c) Does not arise.

उर्वरकों की आवश्यकता

3256. **श्री चीमनभाई हरीभाई शुक्लाः** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में इस समय उर्वरकों की राज्य-वार दैनिक आवश्यकता कितनी है;

(ख) इनकी आवश्यकता की तुलना में आपूर्ति की मात्रा में कितनी कमी है;

(ग) इस संबंध में स्थिति को सुधारने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने उर्वरकों की मांग की स्थिति को सुधारने के लिए कोई विशेष परियोजना ऋण दिया है; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोम पाल): (क) से (ग) इस समय यूरिया ही एकमात्र ऐसा उर्वरक है जिनका मूल्य आवाजाही और वितरण नियंत्रणाधीन है। यूरिया की आवश्यकता का निर्धारण मौसम-वार किया जाता है। खरीफ मौसम 1998 (1.4.1998 से 30.9.98) के लिए 104.80 लाख मीटरी टन की निर्धारित आवश्यकता की तुलना में, 15.6.98 तक 59.04 लाख मीटरी टन मात्रा की आपूर्ति की गयी। मौसम के लिए यूरिया की राज्य/संघ शासित क्षेत्रवार अनुमानित आवश्यकता और उससे व्युत्पन्न औसत दैनिक आवश्यकता संलग्न विवरण में दी गई है (नीचे देखिए)। चालू मौसम के दौरान यूरिया की आवश्यकता को पूरा करने में कोई कठिनाई दिखाई नहीं पड़ती।

विनियंत्रित उर्वरकों के मामले में, मांग के निर्धारण और आबंटन की केन्द्रीय सरकार की कोई प्रणाली विद्यमान नहीं है। जबकि खरीफ 1998 के लिए प्रमुख विनियंत्रित उर्वरकों डाय-अमोनियम फासफेट (डी ए पी) और म्यूरिएट आफ पोटाश (एम ओ पी) की आवश्यकता, जैसा कि राज्यों द्वारा बताया गया है, क्रमशः 30.49 और 9.95 लाख मीटरी टन है, देश के लिए कुल आवश्यकता क्रमशः 26 लाख मीटरी टन और 9 लाख मीटरी टन आंकी गयी है। खरीफ मौसम के दौरान डी ए पी की उपलब्धता 29.40 लाख मीटरी टन और एम ओ पी की उपलब्धता 9.64 लाख मीटरी टन होने की संभावना है। अनुमानित मांग को पूरा करने के लिए यह उपलब्धता पर्याप्त है और सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक उपाय किये हैं कि किसी प्रकार की कमी न हो।

(घ) जी, नहीं।

विवरण

खरीफ मौसम 1998 के दौरान यूरिया की आवश्यकता

क्रम संख्या	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	खरीफ 1998 के लिए अनुमानित आवश्यकता (000 मीटरी टन में)	औसत दैनिक आवश्यकता (मीटरी टन में)
1.	आन्ध्र प्रदेश	960.00	5,245.90
2.	कर्नाटक	590.00	3,224.04
3.	केरल	72.00	393.44

क्रम संख्या	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	खरीफ 1998 के लिए अनुमानित आवश्यकता (000 मीटरी टन में)	औसत दैनिक आवश्यकता (मीटरी टन में)
4.	तमिलनाडु	375.00	2,049.18
5.	पांडिचेरी	10.00	54.64
6.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	0.57	3.11
7.	लक्ष्यद्वीप	0.00	0.00
8.	गुजरात	600.00	3,278.69
9.	मध्य प्रदेश	700.00	3,825.14
10.	महाराष्ट्र	1,125.00	6,147.54
11.	राजस्थान	485.00	2,650.27
12.	गोवा	4.50	24.59
13.	दमन एवं दीव	0.25	1.37
14.	दादर एवं नगर हवेली	1.82	9.95
15.	हरियाणा	600.00	3,278.69
16.	पंजाब	1,000.00	5,464.48
17.	उत्तर प्रदेश	2,225.00	12,158.47
18.	हिमाचल प्रदेश	30.00	163.93
19.	जम्मू व कश्मीर	75.00	409.84
20.	दिल्ली	13.50	77.77
21.	चंडीगढ़	0.30	1.64
22.	बिहार	700.00	3,825.14
23.	उड़ीसा	325.00	1,775.96
24.	पश्चिम बंगाल	460.00	2,513.66
25.	असम	50.00	273.22
26.	त्रिपुरा	12.00	65.57
27.	मणिपुर	23.00	125.68
28.	मेघालय	3.00	16.39
29.	नागालैंड	0.50	2.73
30.	अरुणाचल प्रदेश	0.35	1.91
31.	मिजोरम	0.40	2.19
32.	सिक्किम	0.50	2.73
33.	टी बोर्ड (एनई)	37.00	202.19
		0.00	0.00
	अखिल भारत	10,479.69	57,266.07